राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3512/2025 बलवीर सिंह, पम्प चालक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	23.07.2025	श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक
2.	3513/2025 भूपाल सिंह, पम्प चालक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	23.07.2025	श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक
3.	3514/2025 हरि किशन, पम्प चालक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	23.07.2025	श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 28.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3512/2025 बलवीर सिंह बनाम प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 01.03.1989 के मस्टर रोल के पर दैनिक वेतन भोगी के पद पर दी गई थी, दो वर्ष बाद अपीलार्थी को अर्ध–स्थायी दर्जा दिया गया और दिनांक 01.03.1991 को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया और वेतनमान भी रु. (800–1250) दिया जाना चाहिए, जिसमें से प्रत्यर्थियों को वेतनमान दिनांक 01.04.90 की तिथि से पंप चालक का वेतनमान 950/– दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से हेल्पर का वेतनमान दिया गया है और अपीलार्थी दिनांक 01.04.1990 से पंप चालक का वेतनमान पाने का हकदार है। अपीलकर्ता को 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी दर्जा दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास आठवीं पास की शैक्षणिक योग्यता है और दो साल की सेवा के बाद उसे दिनांक 31.03.90 को हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पंप चालक का काम सौंपा गया था, लेकिन अन्य समान व्यक्तियों को अर्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से पंप चालक का वेतनमान दिया गया और उन्हें

950 रुपये का वेतन दिया गया, जबकि अपीलार्थी और अन्य समान व्यक्तियों के वेतनमान में अंतर है, हालांकि उस समय शैक्षणिक योग्यता समान थी और इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को पम्प चालक का वेतनमान दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.07.25 को पंप चालक के पद पर 950/– रुपये के वेतनमान के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो दो वर्षों की समान सेवा के बाद प्रदान किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया है और न ही उन्हें समान लाभ प्रदान किए हैं। (अनुलग्नक–2) इसी प्रकार का विवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3040/89 के आदेश दिनांक 13.12.94 द्वारा हल किया गया था, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अनुमति दी गई थी और इसी प्रकार का मामला सोहन बनाम राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3648/89 के आदेश दिनांक 16.12.94 को तय किया गया था। (अनुलग्नक–3 व 4) अधिकरण द्वारा निरोत्तम सिंह बनाम राज्य के मामले में अपील संख्या 968/2020 के आदेश दिनांक 04.06.25 के अनुसार तय किया गया है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 01.03.91 से पंप चालक का वेतनमान प्रदान किया जावे तथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों के समान सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त

होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगर्ण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 3512/2025 बलवीर सिंह बनाम प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष